संख्या-42/2023/1489/22-2-2022-17(1291)/2022

प्रेषक,

राजेश कुमार राय,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 21 फरवरी, 2023

विषय:- आदर्श कारागार लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी श्रवण कुमार पुत्र श्री कालिका प्रसाद, निवासी जनपद लखीमपुर खीरी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-14659/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-12.04.2022) दिनांक-06.05.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी श्रवण कुमार पुत्र श्री कालिका प्रसाद, ग्राम-हसनापुर, थाना कोतवाली, जनपद-लखीमपुर खीरी का निवासी है। प्रधानी के चुनाव की रंजिश को लेकर दिनांक 20-08-2002 को बदी ने अपने 06 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे व बाँके से मारकर रामजीवन नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। बन्दी को उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-733/2005, धारा-302/149, 506, 147, 148, 504 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश (न्या0 सं0-2), लखीमपुर खीरी के आदेश दिनांक 27.09.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। दिनांक 05.04.2022 तक 16 वर्ष 07 माह 14 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष 01 माह 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बंदी के पूर्व आपराधिक कृत्य के दृष्टिगत पुनः अपराध करने की प्रबल सम्भावना होने, बदी के पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रधानी के चुनाव की रंजिश को लेकर दिनांक 20.08.2002 को बंदी ने अपने 06 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमचे व बाँके से मारकर रामजीवन नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी श्रवण कुमार पुत्र श्री कालिका प्रसाद को फार्म/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि आदर्श कारागार लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी श्रवण कुमार (बन्दी संख्या-17129) पुत्र श्री कालिका प्रसाद, निवासी जनपद लखीमपुर खीरी के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

राजेश कुमार राय
विशेष सचिव।

संख्या-42/2023/1489(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-42/2023/1489/22-2-2022-17(1291)/2022

दिनांक 21 फरवरी, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी श्रवण कुमार पुत्र श्री कालिका प्रसाद, ग्राम-हसनापुर, थाना कोतवाली, जनपद-लखीमपुर खीरी का निवासी है। प्रधानी के चुनाव की रंजिश को लेकर दिनांक 20-08-2002 को बदी ने अपने 06 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे व बाँके से मारकर रामजीवन नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। बन्दी को उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-733/2005, धारा-302/149, 506, 147, 148, 504 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश (न्या0 सं0-2), लखीमपुर खीरी के आदेश दिनांक 27.09.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। दिनांक 05.04.2022 तक 16 वर्ष 07 माह 14 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष 01 माह 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बंदी के पूर्व आपराधिक कृत्य के दृष्टिगत पुनः अपराध करने की प्रबल सम्भावना होने, बदी के पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रधानी के चुनाव की रंजिश को लेकर दिनांक 20.08.2002 को बंदी ने अपने 06 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमचे व बाँके से मारकर रामजीवन नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी श्रवण कुमार पुत्र श्री कालिका प्रसाद को फार्म/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

राजेश कुमार राय
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।